

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, फुलपरास।

Email ID – eerwdphulparas@gmail.com

पत्रांक 1945/20

दिनांक 12/11/25

प्रेषक,

ई० सुभाष कुमार
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फुलपरास।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय:— मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा कार्यक्रम के दौरान मधुबनी जिला के अंतर्गत खुटौना प्रखंड के अधीन चयनित स्थल तक **MMGSUY Emergent (Departmental) Work** के तहत कराये गये पथ में आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:— मु०अ०— 06, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा बिहार के पत्रांक— 1844 (अनु०) दिनांक— 06.10.2025 एवं विभागीय पत्रांक— मु०अ० (अ०उ०) 4515— 01—1078 / 2025 2987 / पटना दिनांक— 22.08.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, फुलपरास अंतर्गत मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा कार्यक्रम के दौरान मधुबनी जिला के अंतर्गत खुटौना प्रखंड के अधीन चयनित स्थल तक **Emergent Work** के तहत पथ Gehuma Bairiya to Chharapatti में कार्य कराया गया जिसका स्वीकृति शीर्ष **MMGSUY Emergent (Departmental) Work** योजना अन्तर्गत प्राप्त हो चुका है। उक्त पथ में आवंटन उपलब्ध कराने हेतु विवरणी विहित प्रपत्र में तैयार कर अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि पथ में आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्यों के विरुद्ध भुगतान किया जा सके।

अनु०:—

तकनीकी अनुमोदन की प्रति
तकनीकी स्वीकृति की प्रति
अधियाचना प्रमाण पत्र 1 पृष्ठ में।
उपयोगिता प्रमाण पत्र एक प्रति।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फुलपरास।

**Office of The Executive Engineer,
Rural Work Department, Works Division, Phulparas.
Requisition Format for Scheme MMGSUY Emergent (Departmental) Work**

Name of the Works Division :- Phulparas																		
Sl. No.	Package No.	Project ID as per MIS	Name of Road	AA Length (in km)	Administrative Approval (construction work) Amount (in Lakh)	Agreement (construction work) Amount (in Lakh)	Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	work/status (WBM/ WMM/ BM/SDSC etc.)	Value of IRI (in mm/ km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content (in %)	Total Previous Allotted Amount (in Lakh)	Upto date Expenditure as per MIS (in Lakh)	Value of Work Done (in Lakh)	Current Demand (in Lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MMGSUY Departmental Work	31909802013	Gehuma Bariya to Chikharapatti	3.000	230.151	230.151	Departmental Work	Departmental Work	08.01.2025	PCC	PCC	PCC	PCC	0.00000	0.00000	227.60370	227.60370	Work Completed
																Total =	227.60370	

It is certified that Physical & Financial Progress has been updated in MIS.


Executive Engineer
RWD, Works Division, Phulparas

1. Above Signed Copy along with Forwarding Letter & Utilisation Certificate must be uploaded in MIS.
2. Signed Hard Copy and Soft Copy (in excell) of recorded IRI is enclosed (As Applicable).

अधियाचना हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **MMGSUY (GEN)** योजनान्तर्गत

1. पथ — Gehuma Bariya to Chharapatti
में कराये गये कार्य की गुणवत्ता जांच की गयी है जो निर्धारित
मान/विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. अद्यतन कराये गये कार्य की मापी संबंधित मापी पुस्तिका में दर्ज
है जिसका सत्यापन कर लिया गया है।


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, फुलपरास

GFR 12-B
[See Rule 256 (2)]

FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE

(1) Certified that out of the Loan of Rs **4062.86377** Lacs, Sanctioned under **MMGSUY Departmental Emergent Work**, dated. **31.10.2025**, in favour of **E.E. RWD Phulparas**, during the year **2025**, an amount of Rs **3809.44421** Lacs, has been utilized for the purpose for which it was sanctioned, and that the balance of Rs **253.41956** Lacs, Remaining unutilized at the end of the year **2025** has been surrendered to the Government (vide No **NIL**, dated- **NIL**)/ will be adjusted towards the loan payable during the next financial year.

(2) Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the loan was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually spent for the purpose for which the loan was made.

Kinds of checks exercised

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Signature.....
Designation. E.E.
Date.....

MR-3054
GENERAL ABSTRACT OF COST

of Road : Gehua Bairia to Chharapatti

ct : Madhubani

: Phulparas

h (M) : 3000

Item of work	Amount (In Rs.)
Cost of Consturction/Improvement of Proposed Road	1,90,64,865.00
Total Cost of Work :	1,90,64,865.00
Add 1% Labour Cess :	1,90,649.00
Add 18% GST :	34,31,676.00
Add 10% Seigniorage Fee :	3,27,908.00
Grand Total :	2,30,15,098.00
Rate Per Km. :	76,71,699.33
Total Cost Of Work Including Maintenance :	2,30,15,098.00


25/08/25
ior Engineer


25/8/2025
Asstt. Engineer


25/8/25
Executive Engineer

Emergent Work. C.M. Prigati yatra in Machhali dist. RWD. plus per day -

Road length: 3.00km - BT. 0.210km
CL. 2.740km

A/A vide letter No. 2987 Dated. 22.08.25.

District T.A.

Total Construction Cost → ₹ 230.151 Lacs.

Minor Improvement
Initial Rectification
5th Year Periodic Renewal

Total Maintenance Cost → ₹ 0.00 Lacs

(1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th & 7th):

Other Cost:

Emergent Cost →

Contingency Cost → ₹ 0.00 Lacs

Administrative Cost → ₹ 0.00 Lacs

Total Cost → ₹ 230.151 Lacs.

Defaulter T.S. : (post facto)

Total Construction Cost → ₹ 230.151 Lacs

Minor Improvement
Initial Rectification
5th Year Periodic Renewal

Total Maintenance Cost → ₹ 0.00 Lacs

(1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th & 7th):

Other Cost:

Emergent Cost →

Contingency Cost → ₹ 0.00 Lacs

Administrative Cost → ₹ 0.00 Lacs

Total Cost → ₹ 230.151 Lacs.

Defaulter T/S : (Post facto) -

T.S. No. - 203

dt-06.10.2025

Ref. Letter No- 1489(38) dt-25.08.2025.

post facto,

→ Technically Sanctioned for Rs. 230.151 Lacs.

(Rupees Two crore Thirty Lacs. fifteen

Thousand and hundred)

only.

Technically sanction does not mean sanction
of rate instruction given in technical note
should be followed strictly.

Signature
06/10/25.

सहायक अभियंता
मुख्य अभियंता-6
ग्रामीण कार्य विभाग
दरभंगा

Signature
06.10.25

कार्यवाहक अभियंता
मुख्य अभियंता-6
ग्रामीण कार्य विभाग
दरभंगा

Signature
06/10/25

मुख्य अभियंता-8
ग्रामीण कार्य विभाग
दरभंगा

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्राक- मु0अ0(अ0उ0)4515-01-1078/2025 - 2987 /पटना, दिनांक- 22.08.2025
प्रेषक संजय कुमार भा0प्र0से0
संयुक्त सचिव।

सेवा में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय- मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103-सामान्य मद के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0121-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत होने वाले व्यय की राशि के लिये कुल 05 (पँच) पथों का घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103-सामान्य मद के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0121-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये कुल 05 (पँच) पथों का घटनोत्तर प्रशासनिक प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क्र.सं.	जिला	वार्ड संख्या	ग्राम	पथ का नाम	विभागीय रूप से कटौती गये कार्य की लम्बाई (कि०मी०)	कुल प्राकल्पित राशि (ला० रु०)
1	Aurangabad	Aurangabad	Aurangabad	Old GT Road Adri Path to Feshar Pachrukhiya Via Gangli Badka Bela Chokha Bela	5.650	164.27300
2	Madhubani	Jhanjharpur	Jhanjharpur	Mannariya Malchiya Mantri Bihar Ke Madhubani Jila Antargat Arban Haat ke Lokarpan Ke Ausar Par Mithila Haat to Araria Gram Tak Path ka Mannamati Kurya	1.201	12.96000
3	Madhubani	Jhanjharpur	Jhanjharpur	Arariya Sangram Durga Mandir "Nellipad" Se Mannariya Mantri (Jal Sansadhan) Ke Char Tak and NH-37 Arariya Chowk se Thama (Centre) Tak	0.626/0.139	11.86100
4	Madhubani	Phulparas	Phulpures	Gehua Bairia To Chharapatti	3.000	230.15100
5	Arwal	Arwal	Karpi	Jipur Usri Road to Bambhai	1.470	4.22500
Total					12.086	423.469

2. मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103 - सामान्य मद के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0121-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अधीन 1998.41 करोड़ रुपये का बजट उपबंध है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित BOS-3 की राशि 5995.23 करोड़ (1998.41 X 3= 5995.23) के अतिरिक्त लोक वित्त समिति द्वारा दिनांक 08.05.2025 को 14628.07 करोड़ की छूट दी गयी है। प्रस्तावित एक पथ में विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की जाने वाली कुल राशि रु0 423.469 लाख निर्धारित Bank of Sanction (BOS) की अधिकतम के अधीन है।

3. संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमाण्डल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
4. सारणी में अंकित 05 योजनाओं का विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
5. इन योजनाओं के व्ययन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0(अ0उ0)4515-01-1078/2025, दिनांक 01.08.2025 को प्राप्त है।
6. सारणी में अंकित 05 योजनाओं का विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न कराने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या- मु0अ0(अ0उ0)4515-01-1078/2025 में दिनांक 20.08.2025 को अनुमोदन प्राप्त है।
7. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अध्यादित नहीं हो।
10. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिह्नित नहीं हो। यदि चिह्नित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
11. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12508 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयवधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।



17. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संधिका संख्या- मु०अ०(अ०उ०)4515-01-1078/2025 के पृ०-13 /टि० पर दिनांक-21/08/2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

22/8/25

(संजय कुमार)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापक- मु०अ०(अ०उ०)4515-01 -1078/2025 - 2987 /पटना, दिनांक- 22-08-2025
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/8/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापक- मु०अ०(अ०उ०)4515-01 -1078/2025 - 2987 /पटना, दिनांक- 22-08-2025
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/8/25

संयुक्त सचिव।

मुख्य अभियंता-6 दरभंगा का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग।

पत्रांक- 1844(अब७)
प्रेषक,

दिनांक- 06.10.25

ई० चन्द्रहास कुमार
मुख्य अभियंता-6

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधुबनी।

विषय:- मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा कार्यक्रम, फुलपरास (मधुबनी जिला) के अन्तर्गत (Emergent Work) से पथ निर्माण कार्य के तहत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास के अधीन शीर्ष MMGSUY अन्तर्गत स्वीकृत 01 (एक) अदद पथ निर्माण कार्य के प्राक्कलन पर घटनोत्तर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास का पत्रांक-1489 अनु० दिनांक 25.08.2025

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त 01 (एक) अदद पथ का प्राक्कलन प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। योजना का नाम, प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग तथा प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' के क्रमशः स्तम्भ-2, 4 से 5 एवं 6 में अंकित है।

2. प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है, जो कि पत्र के परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 05 में अंकित है।
 3. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
 4. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रावधानित पुल/पुलियों स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित किया जाये।
 5. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को प्रत्येक माह की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 6. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति न समझी जाए।
 7. अधीक्षण अभियंता, ग्रा०का०वि०, कार्य अंचल, मधुबनी ऐसे मदों के दर, जो अनुसूचित दर में नहीं है, का दर विश्लेषण केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
 8. सामग्रियों की दुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा ज्वेरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उपा दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अद्यतन अनुसूचित दर पर अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
 9. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
 10. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।
- अनु०- परिशिष्ट 'क' एवं स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन,

ह०/-

मुख्य अभियंता-6

ज्ञापांक- 1844

/दिनांक- 06.10.25

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमंडल, फुलपरास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-6

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नाम:-परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 02 के अनुसार

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग:-परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 04 से 06 के अनुसार।

विवरणी

1. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 06 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दसों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य शीर्ष **MMGSUY** की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकात्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यान्वयन करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **मधुबनी** की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे स्वयं कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पुल/पुलिया कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार प्रकार की जिम्मेदारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी:-
प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
अंतिम लेगर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रोसेस्सिंग एवं ग्री-लेवल निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण के लिए एस0व्यू0एम0 द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत प्राक्कलन के साथ संलग्न लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर किया गया एवं जमीन उपलब्ध है, इसे मानते हुए गणना की गयी है।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एवं स्वीकृत मर्दों के कार्यान्वयन में **Rural Roads Specification Rural Roads Manual (IRC SP :20)** तथा **IRC SP :72** एवं **IRC SP :62** की विशिष्टि का अनुसरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मर्दों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रेडियंट आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामग्रियों की दुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरान्त ही निवेदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. विभागीय रूप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य से किसी भी तरह से शीर्ष **MMGSUY** की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय-समय निर्गत ग्रामीण कार्य विभाग/**BRRDA**, बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हो।

परिशिष्ट 'क'

मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा कार्यक्रम, फुलपरास (मधुबनी जिला) के अन्तर्गत (Emergent Work) से पथ निर्माण कार्य के तहत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, फुलपरास के अधीन MMGSUY योजना की प्राथमिक स्वीकृति की सूची:-

Sl no.	Name of Scheme	Administrative Approval			T.S Cost (in Lakh)
		Length (in Km)	Department Ref Lett. No. / Date	Total Cost (in Lakh)	
1	2	3	4	5	6
1	Gehuma Baryia to Chharapatti	3.000	2987/22.08.2025	230.151	230.151
Total		3.000		230.151	230.151


Chief Engineer-6
R.W.D